"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2013— कार्तिक 16, शक 1935

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2013.

क्रमांक 08/चार/वि.स.चु./2013/6173 .— भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/2013/एस.डी.आर., दिनांक 07 नवम्बर, 2013 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2013

अधिसूचना

संख्या 576/एग्जिट/2013/एस.डी.आर. . — यत:, आयोग के दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/पी एन/43/2013, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के प्रेस नोट संख्या ई सी आई/पी एन/47/2013 के द्वारा यथासंशोधित, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा तमिलनाडु से 83-यरकौड (अ.ज.जा.) और गुजरात से 167-सूरत पश्चिम की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों की समय-अनुसूची घोषित की गई थी;

2. तथा यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के उपबंधों के अनुरूप, इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के प्रसारण तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध होगा;

3. तथा यत:, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा तमिलनाडु और गुजरात विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों की घोषणा एक ही समय पर की गई है, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान प्रारंभ होने के पहले दिन से मतदान होने की तारीख तथा समय से शुरु होकर मतदान के आखिरी दिन में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा;

4. अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 11-11-2013 (सोमवार) अर्थात् छत्तीसगढ़ में मतदान के पहले दिन पूर्वाह्न 7.00 बजे और 04-12-2013 अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा तमिलनाडु और गुजरात की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के लिए मतदान के अंतिम दिन के अपराह्न 5.30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों तथा तमिलनाडु और गुजरात विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना और किसी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करना या उसका प्रचार-प्रसार करना या उसका किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करना, प्रतिबंधित रहेगा.

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपीनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के पोल सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि, जो पूर्वोक्त साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, के लिए प्रतिबंधित रहेगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 7th November 2013

NOTIFICATION

No. 576/EXIT/2013/SDR. — Whereas, the Schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and bye-elections to Legislative Assemblies of Tamil Nadu from 83- Yercaud (ST) assembly constituency and Gujarat from 167- Surat West assembly constituency have been announced by the Commission vide its Press Note No. ECI/PN/43/2013, dated 4th October, 2013 as modified vide Press Note No. ECI/PN/47/2013, dated 23rd October, 2013;

2. And Whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard:

3. And whereas, the General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and bye-elections to Legislative Assemblies of Tamil Nadu and Gujarat have been announced together, the ban on exit polls shall start from the date and the time of commencement of the poll on the first day of poll and continue till half-an-hour after closing of the poll on the last day of poll;

4. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. on 11-11-2013 (Monday) i.e. the first day of poll in Chhattisgarh and 5.30 P.M. on 4-12-2013 i.e. the last day of poll in National Capital Territory of Delhi and bye-elections to the State Legislative Assemblies of Tamil Nadu and Gujarat, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and bye-elections to Legislative Assemblies of Tamil Nadu and Gujarat, shall be prohibited.

5. It is further clarified that under Section 126(1) (b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be pohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

By Order,

Sd/-
(Ashish Chakraborty)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा